बिहार कर्मचारी चयन आयोग,

पो0–वेटनरी कॉलेज, पटना–14

स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत स्वच्छता निरीक्षक के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन

विज्ञापन संख्या–08010116, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के अधीनस्थ विभिन्न जिलों के असैनिक शल्य चिकित्सा–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी (सिविल सर्जन) के अधीन स्वच्छता निरीक्षक के निम्नांकित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों से ऑन–लाईन आवेदन आयोग के वेवसाईट **http://bssc.bih.nic.in** पर आमंत्रित किये जाते है । ऑनलाईन आवदेन भरने की विस्तृत जानकारी आयोग के वेवसाईट पर उपलब्ध है ।

ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन दिनांक–13.05.2016 से 08.06.2014 तक

कुल रिक्तियाँः–276

अनुसूचित जाति	–	42
अनुसूचित जनजाति	–	03
अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	–	32
पिछड़ा वर्ग	–	48
पिछड़ा वर्ग की महिला	–	09
अनारक्षित	–	142

रिक्तियों की संख्या औपबंधिक है जो घट–बढ़ सकती है ।

वेतनमान्–5200–20200, ग्रेड–पे 2400

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताः–आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक इन्टरमिडिएट/10+2 (भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, अंग्रेजी के साथ) में उत्तीर्णता ।

तकनीकी योग्यताः– सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा–इन–सेनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स में उत्तीर्णता एवं तत्संबंधी प्रमाण पत्र ।

उम्र सीमा :–दिनांक–01.08.2015 के आधार पर निर्धारित की जायेगी ।

(1) आयु न्यूनतमः– 21 (इक्कीस) वर्ष । कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की संकल्प संख्या–294, दिनांक–07.01.2016 के अनुसार अधिकतम–(1) अनारक्षित (पुरूष) – 37 वर्ष । (2) पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (पुरूष एवं महिला) – 40 वर्ष । (3) अनारक्षित (महिला) – 40 वर्ष । (4) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला) – 42 वर्ष ।

(3) स्वास्थ्य विभाग के पत्रांक–405(4), दिनांक–20.04.2016 के आलोक में स्वच्छता निरीक्षक के पद पर नियमित नियुक्ति वर्ष 1998 के बाद नहीं होने के कारण अधिकतम उम्र सीमा निम्न किया गया हैं ।

(क)	अनारक्षित वर्ग	–	37+15= 52 वर्ष
(ख)	पिछड़ा वर्ग/ अत्यंत पिछड़ा वर्ग	–	40+15= 55 वर्ष
(ग)	महिला(अनारक्षित), पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग	–	40+15= 55 वर्ष
(घ)	अनुसूचित जाति / जन जाति	–	42+15= 57 वर्ष

(2) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक–2374, दिनांक–16.07.2007 के आलोक में सरकारी सेवकों को जो 03 (तीन) वर्षो की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हों, उच्चतर वेतनमान की सेवा/संवर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 (पाँच) वर्षो की छूट अनुमान्य है । साथ ही, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक–62, दिनांक–05.01.2007 के आलोक में विकलागों को उक्त अधिकतम उम्र सीमा में 10 (दस) वर्षो की छूट अनुमान्य है ।

(3) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक–2447, दिनांक–06.03.1990 के आलोक में भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 03 (तीन) वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बितायी गयी सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जायेगी वशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 53 (तिरेपन) वर्ष से अधिक नहीं हो ।

D/PANKAJ JEE/SWACHTA NIRICHAK ADV.

चयन की प्रक्रिया:–

आयोग सुयोग्य अभ्यर्थियों के द्वारा समर्पित ऑनलाईन आवदेन–पत्र प्राप्त करने के पश्चात् निम्नलिखित के आधार पर मेधा सूची तैयार करेगा:–

(1) अधियाचना के आलोक में आयोग रिक्तियों को विज्ञापित कर आवेदन पत्र आमंत्रित करेगा और पैरामेडिकल संवर्गो के लिए अलग **प्रारम्भिक प्रतियोगिता परीक्षा** एवं तत्पश्चात् **साक्षात्कार** के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन करेगा ।

(2) पैरामेडिकल संवर्गो के लिए संयुक्त प्रारम्भिक परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ठ होगे और एतदर्थ पाठयक्रम एवं प्रक्रिया आयोग द्वारा निश्चित की जायेगी । यह परीक्षा छटाई (स्क्रीनिंग) के प्रयोजनार्थ होगी । इसके आधार पर अधियाचित रिक्तियों के ढाई गुणा संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा, जिन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा ।

(2) साक्षात्कार निम्नलिखित के अनुसार 100 (एक सौ) पूर्णांक होगा:–

(क) इन्टरमिडिएट / 10+2 के प्राप्तांक के लिए		–25 अंक
(ख) उच्चतर शिक्षा (बी0एस0सी0 / एम0एस0सी0) के प्राप्तांक के लिए		–10 अंक
(ग) स्वच्छता निरीक्षक के डिप्लोमा कोर्स की परीक्षा में प्राप्तांक के लिए		–25 अंक
(घ) बिहार राज्य के सरकारी अस्पतालों में कार्य के अनुभव के लिए (प्रतिवर्ष के लिए 05 अंक, अधिकतम 25 अंक)		–25 अंक
	कुल	–85 अंक
(3) साक्षात्कार के लिए		–15 अंक
	कुल	–100 अंक

टिप्पणी:–इन्टरमिडियट / 10+2, उच्चतर डिग्री एवं स्वच्छता निरीक्षक के डिप्लोमा कोर्स की परीक्षा में प्राप्तांक के लिए किसी अभ्यर्थी को प्रदान किये जाने वाले अंकों का अवधारण उक्त कोर्स की परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत को 0.25 के गुणक से गुणा करके होगा । यथा, यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किया गया हो तो उसे 50% x 0.25=12.5 अंक दिये जायेगें ।

(4) मेधासूची तैयार करने के पश्चात् आयोग के द्वारा नियुक्ति प्राधिकार के सहयोग से प्रमाण पत्र की प्रारम्भिक जॉच एवं स्वास्थ्य जॉच करायी जायेगी और तत्पश्चात अधियाचित रिक्तियों के अनुसार आरक्षण कोटिवार अंतिम अनुशंसा नियुक्ति प्राधिकार को भेजी जायेगी । नियुक्ति प्राधिकार के स्तर पर भी प्रमाण पत्रों के जॉच के पश्चात अनुशंसित अभ्यर्थियों के पूर्ववृत का सत्यापन कराया जायेगा ।

क्वालीफाइंग मार्क्स:–

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प संख्या–2374, दिनांक–16.06.2007 के आलोक में अभ्यर्थियों को न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, जो निम्नांकित है:–

सामान्य वर्ग	–	40 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग	–	36.5 प्रतिशत
अ0पि0वर्ग	–	34 प्रतिशत
अनु0जाति / जनजाति	–	32 प्रतिशत
महिला वर्ग	–	32 प्रतिशत

परीक्षा शुल्क निम्न प्रकार होंगें :–

(क) सामान्य /पिछड़ा वर्ग / अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी–750 रूपये ।

(ख) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (सिर्फ बिहार के स्थायी निवासी के लिए)–200 रूपये ।

(ग) बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु –750 रूपये ।

उपरोक्त राशि के अलावा बैंक कमीशन अभ्यर्थियों को अलग से देना होगा ।

अभ्यर्थी Online Registration करने के पश्चात् SBI I collet/challan के माध्यम से भारतीय स्टेट बैंक के किसी भी शाखा में / ऑनलाइन परीक्षा शुल्क दिनांक–13.05.2016 से 10.06.2016 तक समर्पित करेंगें । अन्य किसी भी माध्यम से भेजा गया शुल्क मान्य नहीं होगा । बैंक में परीक्षा शुल्क जमा करने का साक्ष्य अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखेंगें, जो आयोग के द्वारा माँग किए जाने पर आयोग के समक्ष प्रस्तुत करेंगें ।

परीक्षा शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किए जाऐंगें, साथ ही साथ अहस्तांतरणीय होगें ।

आरक्षणः–

(i) ऑनलाईन आवेदन करते समय नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर किसी भी परिस्थिति में आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा एवं उन्हें सामान्य (अनारक्षित) श्रेणी में रखा जायेगा । सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या–70, दिनांक–11.06.1996 एवं बिहार अधिनियम 15/2003 (मूल) के आलोक में राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण का लाभ राज्य के मूल वासी को ही देय है ।

(ii) पिछड़ा वर्ग तथा अत्यन्त पिछड़ा वर्ग श्रेणी के आरक्षित उम्मीदवारों के लिए, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण–पत्र जिसमें क्रीमीलेयर में नहीं होने का उल्लेख हो, मान्य होगा । अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण–पत्र मान्य होगा । ऑनलाईन आवेदन के समय यह प्रमाण–पत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं है परन्तु काउंसेलिंग के समय पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों के द्वारा क्रीमीलेयर रहित जाति प्रमाण–पत्र तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के द्वारा सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण–पत्र समर्पित नहीं करने पर वे अनारक्षित श्रेणी के माने जायेंगे तथा उन्हें आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। अभ्यर्थी आवेदन–पत्र भरते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि वे जिस आरक्षण श्रेणी के अन्तर्गत आते हो उसी आरक्षण श्रेणी का दावा करेंगे। काउंसेलिंग के समय पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों के द्वारा जमा किये जानेवाला क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र सक्षम पदाधिकारी द्वारा उक्त तिथि के एक वर्ष के अन्दर निर्गत होना चाहिए ।

(iii) ऑनलाईन आवेदन–पत्र में दावा किये गये आरक्षण श्रेणी में किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जायेगा तथा इस संबंध में किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा । गलत आरक्षण का दावा करने पर उन्हें अनारक्षित श्रेणी में माना जायेगा ।

(iv) सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के संकल्प संख्या–13185, दिनांक–03.09.2015 के अनुसार बिहार राज्य के वैसे स्वंतत्रता सेनानियों जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती, नाती/नतनी को राज्य सरकार के सेवाओं में नियुक्ति में 02 (दो) प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जायेगा अर्थात चयनित उम्मीदवार जिस आरक्षित/गैर आरक्षित वर्ग से संबंधित होगें, उनकी गिनती उसी आरक्षित/गैर आरक्षित वर्ग में की जायेगी ।

(v) सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के संकल्प संख्या–2342, दिनांक–15.02.2016 के अनुसार बिहार राज्य के सभी सरकारी सेवाओं/संवर्गो के सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्ति में आरक्षित एवं गैर आरक्षित कोटि में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जायेगा । 50 प्रतिशत मेरिट तथा 50 प्रतिशत आरक्षित वर्ग के आधार पर नियमानुसार चयन सूची तैयार करने के उपरांत महिलाओं की संख्या स्वतः 35 प्रतिशत से अधिक हो जाने की स्थिति में इसे यथावत् रखा जायेगा ।

अन्यः– (i) किसी उम्मीदवार के परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्रता का निर्धारण आयोग द्वारा किया जायेगा और यह अंतिम होगा । वैसे ही उम्मीदवार परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे जिन्हें एतदर्थ आयोग द्वारा बुलावा पत्र (Call letter) निर्गत किया जायेगा । बुलावा–पत्र निर्गत होने मात्र से अर्हता की सम्पुष्टि नहीं मानी जायेगी । किसी उम्मीदवार के परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्रता/अपात्रता के विन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा ।

(ii) किसी प्रकार की पैरवी करने या कराने अथवा गलत या अपूर्ण सूचना देने पर अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जायेगा ।

(iii) अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने के पश्चात् Submit करने से पूर्वउसकी सभी प्रविष्टियों को ध्यानपूर्वक देखकर यह सुनिश्चित कर लें सभी प्रविष्टियाँ ठीक से भरी

गई है । ऑनलाईन आवेदन समर्पित कर देने के पश्चात् किसी भी परिस्थिति में किसी प्रकार की त्रुटि का परिमार्जन नहीं किया जा सकेगा ।

<u>अंतिम तिथिः</u>–ऑनलाईन आवेदन जमा करने की तिथि दिनांक–13.05.2016 से 12.06.2016 की रात्रि 12:00 बजे (Server Time) तक निर्धारित है । अन्य किसी भी माध्यम से भेजे गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे । ऑनलाईन आवेदन–पत्र की प्रति को बिहार कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय में भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

12/5/16

सचिव

बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना ।

D/PANKAJ JEE/SWACHTA NIRICHAK ADV.